निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1941 (श0)
(सं0 पटना 547) पटना, मंगलवार, 16 अप्रैल 2019

सं० 08/आरोप–01–179/2015/सा0प्र0–3792
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
19 मार्च 2019

श्री श्याम किशोर प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–966/99, 316 सी०/08, 142/11, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध ''इस्ट वेस्ट कॉरिडोर'' के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरतने के आरोपों पर निगरानी थाना कांड सं०–42/08, दिनांक 15.07.2008 दर्ज हुआ, जिसमें ये नामजद अभियुक्त बनाये गये। उक्त कांड में श्री प्रसाद दिनांक 15.07.2008 को गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे गये। इस संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त सूचना के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–8984, दिनांक 14.08.2008 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया। श्री प्रसाद ने अपनी गिरफ्तारी/कारावास के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया जिसमें दिनांक 22.11.2008 को पारित आदेश के आलोक में ये कारामुक्त होकर दिनांक 28.11.2008 को विभाग में योगदान किये। मामले के संवेदनशीलता के आलोक में विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4508. दिनांक 19.05.2009 द्वारा इन्हें पुनः निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया। कालान्तर में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1352, दिनांक 10.02.2010 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबन मुक्त किया गया।

2. उपर्युक्त आरोपों के लिए श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4668 दिनांक 25.05.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी बनाया गया। कालान्तर में श्री प्रसाद के दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत होने के कारण विभागीय संकल्प संख्या–3388 दिनांक 11.03.2014 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी (विभागीय जांच आयुक्त) से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित पाये जाने के क्रम में श्री प्रसाद से प्राप्त लिखित अभिकथन पर सम्यक विचारोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14105 दिनांक 17.10.2016 द्वारा श्री प्रसाद को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43(बी0) के तहत निम्न दंड संसूचित किया गया हैः–

(क) पेंशन से 50 प्रतिशत की स्थायी कटौती।

(ख) निलंबन अवधि के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।

4. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6945 दिनांक 08.06.2017 द्वारा श्री प्रसाद के निलंबन अवधि दिनांक 15.07.2008 से 27.11.2008 एवं दिनांक 19.05.2009 से 10.02.2010 को निम्न प्रकार विनियमित किया गया :–

''निलंबन अवधि के लिए जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी अनुमान्य नहीं होगा, परन्तु पेंशन प्रयोजन के लिए निलंबन की अवधि को सेवा अवधि मानी जायेगी''।

5. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–2457/2017 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 20.11.2018 को पारित न्यायादेश का मुख्य अंश निम्न प्रकार हैः–

"In such view of the matter, the punishment vide memo no. 14105 dated 17.10.2016, thereby the Government has communicated the petitioner regarding reduction of 50% pension as well as communication/letter given by the Accountant General Office dated 08.12.2016 and the inquiry report dated 27.09.2015 are quashed. The matter is remanded back to the Commissioner, Departmental Inquiry, Government of Bihar, Patna, to proceed further after the stage of issuance of charge-sheet in accordance with law. The question of payment of salary as having been claimed in the writ petition will be subject to result of the inquiry proceeding. As this Court is remanding back the matter, in terms of Government Resolution 90% provisional pension will be paid to the petitioner and arrears will be subject to the result of inquiry proceeding."

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश पर विचारोपरांत पाया गया कि न्यायालय द्वारा श्री प्रसाद से संबंधित दंडादेश संकल्प ज्ञापांक 14105 दिनांक 17.10.2016 एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.09.2015 को निरस्त करते हुए श्री प्रसाद को 90 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन भुगतान का निदेश दिया गया है। न्यायादेश में श्री प्रसाद से संबंधित आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही के संकल्प को निरस्त नहीं किया गया है तथा आरोप पत्र के Stage से अग्रेत्तर जाँच हेतु विभागीय जांच आयुक्त को मामला Remand back किया गया है।

7. अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री प्रसाद से संबंधित दंडादेश संकल्प ज्ञापांक 14105 दिनांक 17.10.2016 एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन (दिनांक 29.07.2015) को निरस्त करते हुए श्री प्रसाद को विभागीय कार्यवाही के फलाफल तक 90 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन भुगतान का आदेश दिया जाता है। बकाया भुगतान के संबंध में विभागीय कार्यवाही के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।

8. न्यायादेश के अनुरूप श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र के Stage से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(1) के तहत अग्रेत्तर जांच हेतु मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। उक्त विभागीय कार्यवाही में सहयोग हेतु जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होगे।

श्री प्रसाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 547-571+10-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in